


फर्द अहकाम
भंवरलाल बनाम सरकार वगै०

अपील संख्या 07/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा कथन किया है कि मा० न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण सं० 3384/2020 उनवान हीरालाल बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 12.10.2020 पारित कर अपीलाधीन भूमि खसरा नं० 522 वाके कस्बा सांभर के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरणों को खारिज फरमा दिया गया था, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। अधिवक्तागण द्वारा उक्त के संदर्भ में मा० न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्र०सं० 3384/2020 निर्णय दिनांक 12/10/2020 एवं मा० उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर की एस.बी. सिविल रिट पीटिशन सं० 97/2024 की प्रति पेश की तथा प्रकरण में संबंधित भूमि के नामान्तरकरण से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे में इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः कार्यवाही समाप्त किये जाने का मौखिक निवेदन किया।</p> <p>अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार हस्तगत अपीलाधीन भूमि खसरा नं० 522 वाके कस्बा सांभर के संबंध में प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ही सर्वमान्य होगा। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर</p>	